विकलाँगता से पीड़ित लोगों के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण किए जाने से सम्बन्धित रॉयल कमीशन (राजकीय आयोग)

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने विकलाँगता से पीड़ित लोगों के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण किए जाने से सम्बन्धित रॉयल कमीशन के लिए प्रारूप विचारार्थ विषय पर सर्वजन के साथ परामर्श शुरू किया है।

रॉयल कमीशन की स्थापना करने में सबसे पहला कदम इसके विचारार्थ विषय की स्थापना करना है।

सरकार विकलाँगता से पीड़ित लोगों, उनके परिवारों और देखरेखकर्ताओं, तथा विकलाँगता क्षेत्र से यह जानना चाहती है कि रॉयल कमीशन को क्या शामिल करना चाहिए और किस प्रकार के समर्थन की ज़रूरत हो सकती है।

रॉयल कमीशन इस बात पर ध्यान देगा कि सरकारों, संस्थानों और समुदाय को विकलाँगता से पीड़ित लोगों के साथ की जाने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण की रोकथाम करने और इसपर प्रतिक्रिया करने के लिए क्या करना चाहिए।

इसमें विकलाँगता से पीड़ित लोगों के साथ की जाने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण के सभी प्रकारों के शामिल होने की संभावना है, भले ही यह कहीं भी घटित हो।

इस परामर्श का उद्देश्य दुर्व्यवहार या हिंसा के मामलों से सम्बन्धित विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना नहीं है।

**यदि आप वर्तमान में किसी प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार का सामना कर रहे/रही हैं, या अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो 000 पर फोन करें या पुलिस से संपर्क करें।**

# हमें रॉयल कमीशन की आवश्यकता क्यों है

ऑस्ट्रेलिया में विकलाँगता से पीड़ित 4.3 मिलियन (43 लाख) लोगों को हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है।

विकलाँगता से पीड़ित लोगों को उन लोगों की तुलना में दुर्व्यवहार, अवहेलना, हिंसा और शोषण का अनुभव करने की संभावना अधिक होती है जो विकलाँगता से पीड़ित नहीं होते हैं।

ऐसे कई जाँच-पड़ताल के कार्य हुए हैं, जहाँ विकलाँगता से पीड़ित लोगों ने हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण से सम्बन्धित अपने अनुभवों के बारे में विचार प्रकट किए हैं।

रॉयल कमीशन विकलाँगता से पीड़ित लोगों, उनके परिवारों और देखरेखकर्ताओं से हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना या शोषण से सम्बन्धित उनके अनुभव के बारे में उनके विचार सुनेगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि लोगों के अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं तथा इससे और अधिक समावेशी समाज का प्रसार होगा।

विचारार्थ विषय से सम्बन्धित परामर्श

विचारार्थ विषय यह निर्धारित करते हैं कि रॉयल कमीशन में क्या शामिल किया जाएगा और किसपर रिपोर्ट की जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया की सरकार विचारार्थ विषय पर आपके विचार जानना चाहती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उन मुद्दों को एकत्रित करते हैं जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

**engage.dss.gov.au** वेबसाइट पर जन सर्वेक्षण पूरा करके विचारार्थ विषय के संबंध में अपने विचार प्रकट करें।

# भाग लेने के लिए समर्थन

यदि सर्वेक्षण पूरा करने में आपको मदद की ज़रूरत है, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक AEST समय में सर्वे हॉटलाइन से **1800 880 052** पर संपर्क करें।

विकलाँगता से पीड़ित लोग, उनके परिवार और देखरेखकर्ता भी नेशनल डिसेबिल्टी एडवोकेसी प्रोग्राम (राष्ट्रीय विकलाँगता पक्षसमर्थन कार्यक्रम) के पक्षसमर्थकों से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। डिसेबिल्टी एडवोकेट की खोज [https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au](https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/) से की जा सकती है।

# अगले कदम

जन परामर्श पूरा होने के बाद सरकार रॉयल कमीशन की स्थापना करने के लिए गवर्नर-जनरल की अनुमति लेगी।

विचारार्थ विषय सूचित करने के लिए सरकार को आपकी टिप्पणियाँ प्रदान की जाएँगी।

engage.dss.gov.au पर सर्वेक्षण पूरा करके रॉयल कमीशन के लिए विचारार्थ विषय पर अपने विचार प्रकट करें